संख्या: 2946 / 81–2–2019–800(64) / 2019

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

अपर महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

विषयः– जनपद–झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–26 के किमी0 सं0–3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण / चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 86 / 2019 / एफसी / 361, दिनांक 17–10–2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1162 / 11–सी– एफपी / यूपी / रोड / 39827 / 2019, दिनांक 10–12–2019 द्वारा अनुपालन आख्या शासन में उपलब्ध कराया गया है, जो इस प्रकार हैः–

क्रमांक	आपत्ति	अनुपालन आख्या
(a)	A Proposal of a Lane widening of NH-25 jhansi- lalitpur road- Babina road km 0 to 11.00 & felling of 1800 trees was submitted earlier vide online proposal no. 24768/2017 involving 20.35 ha. of Forest land. Now the fresh proposal submitted by the State Governmewnt vide online proposal no. 39827/2019 relates to 4 lane widening of Same road from km. to 11.00 involving 14.8 ha.&felling of 945 Trees. It is not clarified whether the earlier proposal stands withdrawn by the State Government or not?	पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव सं0 24768 / 2017 द्वारा 20.35 हे0 भूमि पर अनापत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसमें सेना की भूमि भी शामिल थी, लेकिन सेना द्वारा उक्त किमी 0–3 पर अनापत्ति निर्गत न होने के कारण प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा ऑन लाइन विड्रा कर लिया गयगा था।तत्पश्चात संशेधित प्रस्ताव सं0 39827 / 2019 द्वारा 8 किमी0 के लिये 14.8 हे0 भाूमि के लिये प्रेषित किया गया है।
B(i)	It is also not clarified:- Why the original proposal has been modified or why a new proposal has been submitted.	परियोजना में मार्ग की कुल लंबाई 1 से 11 किमी0 कुल 11 किमी0 है, जिसमें सेना के अधिपत्य वाले 0 से 3 किमी0 अलग किया गया है। इस प्रकार परियोजना का प्रस्ताव 8 किमी0 है।
(ii)	What will be the outcome if NOC of Ministry of Defence is not obtained/issued and what is the alternative available for the user agency to complete the project and how does it affect the viability of the project.	यदि सैन्य मंत्रालय द्वारा अनापत्ति निर्गत नही हो पाती है तो ऐसी दशा में चार लेन में मीडियन की चौड़ाई को कम करके परियोजना को पूर्ण किया जायेगा।
C.	The Forest offence has been compounded after taking compensation but calculation of Penal NPV payable as per recent guidelines of the Monistry dated	भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 29.01. 2018 में उल्लिखित बिन्दु बी–1, II, III व IV के अनुसार आख्या निम्नवत है– प्रस्तावित वन भूमि–1.02 हे0 उल्लंघन की अवधि 03 वर्ष

	29.01.2019 is not correct as not been calculated for each year of violation. This needs rectification.	एन0पी0वी0 की दर–626000 एन0पी0वी0 की धनराशि– 638520 तीन गुना एन0पी0वी0–1915560 रू0 उक्त धनराशि का प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत साधारण ब्याज=689601.60 अथवा 689602/– कुल तीन वर्ष का ब्याज बी–दण्डात्मक एन0पी0वी0 2605162 बिन्दु II के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0–उक्त एन0पी0वी0 का 20 प्रतिशत=5210321/–रू0 देय कुल दण्डात्मक धनराशि (iii) When User agenct started the work it was stopped immediately by the Range officer Jhansi and legal action was taken. (iv) Range case no-30/2016-17 issued against user agency and notice issued to shri Nirdosh Kumar Suman, Executive Engineer, Nirman Khand (Bhavan wing) PWD, Jhansi.
D.	In Area calculation sheet, uniform width of proposed widening has been taken. It isnot clear whether extra width is required at cuiverts, bridges ect. And to what extent requirement of Forest asrea increase in that case.	एरिया का क्रांस सेक्शन मैप लगा दिया गया है और अतिरिकत चौड़ाई की काई मांग नही की गई है। कोई भी अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। पुल एवं पुलिया के लिये उपलब्ध भूमि में ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 10–12–2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये संगत अभिलेखों सहित अनुपालन आख्या प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–2946 (1)/81–2–2019–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।

2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।